राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1764/2024

धर्मपाल सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.05.2024
आदेश की दिनांक : 14.05.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी को अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृति दिनांक 30.06.2023 को हुई है। अपीलार्थी ने सेवानिवृत्ति के समय एक वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लिया था, जिसके लिए 01 जुलाई को मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदत्त नहीं किया गया, अर्थात् केवल एक दिन पूर्व ही सेवानिवृत्ति हो जाने के कारण एक वर्ष की वेतन वृद्धि का लाभ अपीलार्थी को प्रदान नहीं किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2023 तक की अवधि के लिए एक वर्ष की वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाये, जो उसने सेवानिवृत्ति के समय पूरा कर लिया था। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 21/2020 विजय सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (निर्णय दिनांक 21.07.2023) प्रस्तुत किया है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि उपरोक्त न्यायिक निर्णय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 30 जून को कार्मिक की सेवानिवृत्ति होने पर एक वेतन वृद्धि दिलाया जाना उचित माना है।

3. अपीलार्थी उपरोक्त तर्कों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहा है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)